RISING RAJASTHAN

सत्यमेव जयते

Azadi Ka Amrit Mahotsav

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 09/2023 **GCMS NO. 2023/106**

अपीलांटगण–	बनाम	रेस्पोडेंट्स –
1. श्रीमती बादली पुत्री दल्लाराम पत्नी वगताराम जाति भील, निवासी मण्डापुरा, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा। 2. श्री हड़मान पुत्र सेणाराम जाति भील, निवासी पचपदरा, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा। 3. श्री मोहनलाल पुत्र हिमताराम जाति भील, निवासी खेजडियाली, तहसील समदड़ी, जिला बालोंतरा। 4. श्री बहादुर पुत्र नारायणदास जाति भील निवासी चिरडिया तहसील समदड़ी, जिला बालोतरा।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 272 दिनांक 04.09.1986 जो तहसीलदार पचपदरा द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री नख्तसिंह नामा, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री जोबिन खांन, अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 2 की ओर से अनुपस्थित।
3. रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 बावजुद सूचना अनुपस्थित।
4. रेस्पोडेंट संख्या 1 प्रर्फामा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 03.06.2026

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत मौजा मण्डापुरा, तहसील पचपदरा के खेत खसरा नंबर 304/2 वर्तमान खसरा नंबर 1150/304 के तहसील पचपदरा के नामान्तरकरण संख्या 272 पर तहसीलदार पचपदरा द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 04.09.1986 के विरूद्ध दिनांक 25.05.2021 को न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर तथा दिनांक 09.07.2025 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

जिला कलक्टर
बालोतरा

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा मण्डापुरा, तहसील पचपदरा के खेत खसरा नंबर 304/2 वर्तमान खसरा नंबर 1150/304 भूमि अवस्थित है। वादग्रस्त भूमि अपीलांट के पिता दल्ला उर्फ दल्लाराम पुत्र रावा भील के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज पैतृक खातेदारी भूमि थी। दल्लाराम की मृत्यु के उपरांत अपीलांट उनकी एकमात्र जायंदा पुत्री व प्रथम श्रेणी की वैध उत्तराधिकारी (धारा 8, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम) होने के नाते नामान्तरकरण की अधिकारी थी, किन्तु रेस्पोडेंट संख्या 2 ने पटवारी हल्का से मिलीभगत कर, स्वयं को दल्लाराम का पुत्र बताते हुए उक्त खसरान के संबंध में खातेदार दलिया के फौत के आधार पर हल्का पटवारी पचपदरा द्वारा नामान्तरणकरण खोला गया व तहसीलदार पचपदरा द्वारा दिनांक 04.09.1986 को नामान्तरणकरण संख्या 272 दिनांक 04.09.1986 स्वीकृत किया गया। तहसीलदार पचपदरा द्वारा पारित आदेश 04.09.1986 के विरूद्ध यह प्रथेम अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। इस अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने का निवेदन किया हैं।

3. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं आलोच्य अपीलाधीन मूल अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. रेस्पोडेंटगण संख्या 3, 4 को जारी नोटिस रजिस्टर्ड डाक से तामील नोटिस प्राप्त हुए, लिहाजा रेस्पोडेंटगण संख्या 3, 4 की तलबी पूर्ण। रेस्पोडेंटगण बावजूद सूचना दौराने बहस/सुनवाई अनुपस्थित रहे।

5 अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने दौराने बहस एवं लिखित बहस यह कथन किया कि अपीलांट के पिता की आधिपत्य एवं स्वामित्वसुदा मौजा मण्डापुरा, तहसील पचपदरा के खेत खसरा नंबर 304/2 वर्तमान खसरा नंबर 1150/304 भूमि अवस्थित है। उपरोक्त खेत की भूमि अपीलकर्ता के पिता दलिया उर्फ दल्लाराम पुत्र रावा भील कर्ता खानदान होने से उनकी आवगी खातेदारी में दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में उसका इन्द्राज किया हुआ था। तत्पश्चात अपीलांट के पिता दलिया उर्फ दल्लाराम का स्वर्गवास होने पर अपीलाधीन आराजी का अपीलकर्ता जो उनकी एकमात्र जायंदा पुत्री थी जिसके नाम से खातेदारी में इन्द्राज करना चाहिये था, लेकिन रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा पटवारी हल्का से मिलीभगत कर अपीलकर्ता का नाम हटाते हुए वादग्रस्त सम्पूर्ण खेत अपने नाम अपने आपको दल्लाराम उर्फ दलिया का पुत्र बताते हुए जरिये नामान्तरकरण संख्या 272 दिनांक 04.09.1986 को दर्ज करवायी गयी। जिसकी जानकारी अपीलकर्ता को नहीं हो सकी। अपील

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा

प्रस्तुत करने के अर्सा 15 दिन पूर्व अपीलकर्ता द्वारा अपनी पैतृक भूमि पर केसीसी बनाने हेतु पटवारी हल्का से जमाबंदी की नकले ली तब पटवारी द्वारा अपीलकर्ता को बताया कि आपका नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित नहीं है। रेस्पोडेंट संख्या 2 ने वादग्रस्त खेतों को रेस्पोडेंटगण संख्या 3 व 4 को विभिन्न समयों में बेचान कर दिया है तब अपीलकर्ता द्वारा अपने अधिवक्ता के मार्फत अपीलाधीन आदेश की प्रतिलिपि हेतु आवेदन पत्र दिनांक 30.03.2021 को प्रस्तुत किया जो नकल दिनांक 31.03.2021 को प्राप्त की। अपीलांट के दादा रावा के 03 पुत्र वीरा, सेणा व दला थे। दला के एकमात्र वारिस अपीलकर्ता बादली है जो वंशवृक्ष सजरा पद संख्या 2 में अंकित अनुसार है जो सही है। दल्लाराम उर्फ दलिया के एकमात्र वारिस व उत्तराधिकारी अपीलकर्ता बादली ही है तथा रेस्पोडेंट संख्या 2 हड़मानराम सेणाराम (सेवाराम) का ही एकमात्र संतान होने के कारण सेवाराम का एकमात्र उत्तराधिकारी व वारिश हड़मानराम ही है। अपीलांट के पिता मुतवफी दलिया उर्फ दल्लाराम के फौत होने पर जो विवादित नामान्तरकरण संख्या 272 भरा जाकर पूर्णतया विधि विरूद्ध स्वीकृत किया गया। वास्तव में मुतवफी दलिया उर्फ दल्लाराम के फौत होने पर उनके विधिक वारिस प्रथम श्रेणी के वैध उत्तराधिकारीयों में उनकी एकमात्र जायंदा पुत्री अपीलांट ही है। अपीलांट के अलावा अन्य कोई विधिक वारिसान या उत्तराधिकारी नहीं है। रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही एवं मुतवफी दलिया उर्फ दलाराम के वैध वारिसों की जांच किये बिना ही केवल मात्र रेस्पोडेंट संख्या 2 के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया, जबकि रेस्पोडेंट संख्या 2 दलिया उर्फ दल्लाराम का पुत्र न होकर सेणाराम (सेवाराम) पुत्र राणा का पुत्र था, जो नामान्तकरण प्रारम्भ से ही शून्य एवं अवैध है एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार अपीलकर्ता मुतवफी दल्लाराम उर्फ दलिया की प्रथम श्रेणी की एकमात्र वैध उत्तराधिकारी है। इसी प्रकार रेस्पोडेंट संख्या 2 के पिता सेणाराम के नाम से मौजा आकड़ली बक्सीराम में खातेदारी खेत आये हुए थे जिसका सेणाराम के स्वर्गवास के समय नामान्तरकरण संख्या 178 दिनांक 28.05.2005 को स्वीकृत हुआ था, उसमें रेस्पोडेंट संख्या 2 सेणाराम का एकमात्र वारिस होने के कारण उसके नाम से नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया था जिससे यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट संख्या 2 दल्लाराम उर्फ दलिया का पुत्र न होकर सेवाराम का पुत्र था। तत्पश्चात अपीलकर्ता के पिता दलिया उर्फ दल्ला का स्वर्गवास होने पर अपीलाधीन आराजी का अपीलकर्ता जो उनकी एकामत्र जायंदा पुत्री थी उसके नाम से खातदारी में इन्द्राज करना चाहिये था, लेकिन रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा पटवारी हल्का से मिलीभगत कर अपीलकर्ता का नाम हटाते हुए वादग्रस्त सम्पूर्ण

जिला कलक्टर
बालोतरा

खेत अपने नाम अपने आपको दल्लाराम उर्फ दलिया का पुत्र बताते हुए जरिये नामान्तकरण संख्या 272 दिनांक 04.09.1986 को दर्ज करवायी गई। इस प्रकार रेस्पोडेंट संख्या संख्या 1 तहसीलदार पचपदरा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 272 दिनांक 04.09.1986 को पारित करने में विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की है। अतः अपीलांट को उक्त आलोच्य म्युटेशन भरने पर किसी भी प्रकार नोटिस या सूचना नहीं देने के कारण व अपीलांट को हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 से वंछित रहने से आपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार फरमाई जाकर म्युटेशन प्रविष्ठि संख्या 272 दिनांक 04.09.1986 को निरस्त/अपास्त फरमावे एवं नये सिरे से सही म्युटेशन दर्ज करने का आदेश फरमावे।

6. रेस्पोडेंट संख्या 3, 4 को जारी नोटिस रजिस्टर्ड नोटिस जो तामिल पूर्ण होने के बावजुद भी दौराने बहस अनुपस्थित रहे। रेपोडेंट संख्या 3, 4 को इस प्रकरण के अपील में अपीलांट द्वारा उल्लेखित तथ्यों एवं आधारों पर अपना जवाब/बहस कथन प्रकट करने हेतु सम्यक अवसर प्रदान किया गया। इसके बावजूद रेस्पोडेंट संख्या3, 4 न तो स्वयं उपस्थित हुए और न ही किसी अधिवक्ता के माध्यम से कोई जवाब या आपत्ति प्रस्तुत की। इससे यह प्रतीत होता है कि रेस्पोडेंटगण को अपीलांट के दावों पर कोई आपत्ति नहीं है। इस हेतु हस्तगन प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

7. हमने अपीलांट के अधिवक्ता की बहस सुनी, उपरांत बहस पत्रावली का अवलोकन किया व मनन किया तथा अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट तथ्यो एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया, जिसमें पाया कि मौजा मण्डापुरा, तहसील पचपदरा के खेत खसरा नंबर 304/2 वर्तमान खसरा नंबर 1150/304 भूमि अवस्थित है। म्युटेशन संख्या 272 की फर्द का अवलोकन करने पर उक्त खसरान के संबंध में खातेदार दलिया के फौत के आधार पर हल्का पटवारी पचपदरा द्वारा नामान्तरणकरण खोला गया व तहसीलदार पचपदरा द्वारा दिनांक 04.09.1986 को नामान्तरणकरण संख्या 272 स्वीकृत किया गया।अपीलांट के अधिवक्ता की मुख्य आपत्ति यह है कि वादग्रस्त भूमि उसके स्वर्गीय पिता दल्ला उर्फ दल्लाराम की पैतृक खातेदारी की थी और वह उनकी एकमात्र पुत्री व वैध प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है। उत्तरदाता संख्या 2 (हड़मानराम), जो कि असल में सेणाराम का पुत्र है, उसने स्वयं को दल्लाराम का झूठा पुत्र बताकर, पटवारी व तहसीलदार से मिलीभगत करके, बिना किसी मजमे आम या वैध वारिसान जांच के नामान्तरकरण संख्या 272 दिनांक 04.09.1986 धोखे से अपने नाम तस्दीक करवा लिया। इसके पश्चात रेस्पोडेंट संख्या 2 ने अपीलांट को खातेदारी अधिकारों से वंचित करने की नीयत से उक्त भूमि रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 को बेचान कर दी,

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सत्यमेव जयते बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा

जो कि पूर्णतः अवैध व शून्य होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। इस संबंध में विवादित नामान्तरकरण संख्या 272 दिनांक 04.09.1986 को स्वीकृत हुआ था, जबकि यह अपील वर्ष 2021 में लगभग 35 वर्ष के अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। अपीलांट का यह कथन कि उसे अपनी पैतृक भूमि के रिकॉर्ड की 35 वर्षों तक कोई जानकारी नहीं थी, विधिक रूप से स्वीकार्य योग्य नहीं है। राजस्व मामलों में यह स्थापित सिद्धांत है कि कानून केवल सजग अधिकारों की रक्षा करता है। अतः म्याद अधिनियम की धारा 5 के तहत इतने लंबे समय के विलम्ब को सद्भावी नहीं माना जा सकता। अधिवक्ता अपीलांट के कथन से यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट संख्या 2 हड़मानराम ने उक्त विवादित भूमि को रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 को विभिन्न समयों पर बेचान कर दिया है। वर्तमान में भूमि हस्तांतरित हो चुकी है और तृतीय पक्ष का वैध हित सृजित हो चुका है। इतने लंबे समय (35 वर्ष) के बाद नामान्तरकरण को निरस्त करने से उन निर्दोष क्रेताओं के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। मौके पर भूमि की स्थिति व प्रकृति पूर्णतः बदल चुकी है। अपीलांट ने स्वयं को मृतक दल्लाराम की एकमात्र पुत्री सिद्ध करने हेतु मौजा आकड़ली बक्सीराम के नामान्तरकरण संख्या 179 दिनांक 05.06.2005 की प्रमाणित प्रति पेश की है, वहीं रेस्पोडेंट संख्या 2 के संबंध में नामान्तरकरण संख्या 178 भी प्रमाणित है, किन्तु इसके अतिरिक्त अपीलांट के पास स्वयं को पुत्री सिद्ध करने का कोई अन्य प्राथमिक व अकाट्य साक्ष्य (जैसे जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल रिकॉर्ड) पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। विधिक रूप से यह स्थापित सिद्धांत है कि नामान्तरकरण (Mutation) की कार्यवाही केवल वित्तीय / लगान (Fiscal) प्रयोजनों के लिए होती है, इससे किसी भी पक्ष का स्वत्व (Title/Ownership) न तो सृजित होता है और न ही नष्ट होता है। वंशावली के इस जटिल और विवादास्पद तथ्य का निर्धारण नामान्तरकरण की इस संक्षिप्त अपीलीय कार्यवाही में नहीं किया जा सकता। चूंकि यह अपील 35 वर्ष के अत्यधिक विलम्ब से पेश की है, विवादित भूमि का आगे बेचान होकर तृतीय पक्ष हित सृजित हो चुका है तथा नामान्तरकरण से स्वत्व (Title) तय नहीं होता है। यदि अपीलांट स्वयं को दल्लाराम की वैध पुत्री घोषित करवाकर खातेदारी अधिकार पाना चाहती है, तो उसके लिए उचित विधिक उपचार सक्षम उपखंड अधिकारी न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के तहत नियमित घोषणात्मक वाद प्रस्तुत करना है। अपीलांट अपने खातेदारी अधिकारों व वंशावली की घोषणा हेतु सक्षम राजस्व न्यायालय के समक्ष नियमित वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सत्यमेव जयते बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील आधारहीन व सारहीन होने से तथा म्याद बाहर होने के कारण खारिज की जाती है।

9. निर्णय आज दिनांक **03.06.2026** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
बालोतरा

(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर, बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा